आवश्यक
पंचायत आम चुनाव, 2021

राज्य निर्वाचन आयोग,
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

सत्यमेव जयते

पत्र संख्या -पं0नि0 30-112/2016-

प्रेषक,

योगेन्द्र राम,
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)

पटना, दिनांक -

विषय : अभ्यर्थियों द्वारा पंचायतों एवं ग्राम कचहरी का आम निर्वाचन,2016 में निर्वाचन व्यय संबंधी विवरणी निर्वाची पदाधिकारी को समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग : आयोग का पत्रांक 4785 दिनांक 27.05.2016 एवं अन्तिम स्मार संख्या 1681 दिनांक 19.03.2021

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि पंचायत आम निर्वाचन, 2016 में निर्वाचन लड़ने वाले जो अभ्यर्थी विहित समय सीमा तक निर्वाचन व्यय विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहे हों, उनकी सूची संबंधित निर्वाची पदाधिकारी से पूर्ण विवरण सहित प्राप्त कर जिले की समेकित विवरणी संलग्न विहित प्रपत्र में आयोग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराने हेतु कई बार स्मारित किया गया है, परन्तु उक्त प्रतिवेदन आपके स्तर पर लंबित है। कतिपय जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन में शून्य प्रतिवेदित किया गया है, जिसे विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। ऐसी भी सूचना मिल रही है कि निर्धारित समय के पश्चात व्यय विवरणी प्राप्त कर दिनांक 15.07.2016 तक निर्वाचन व्यय विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहने वाले अभ्यर्थियों की सूची में सूचना को छुपाया गया है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में आयोग द्वारा सम्य विचारोपरान्त निम्नांकित निदेश दिये गये हैं :-

1. संलग्न विहित प्रपत्र में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाची पदाधिकारी को निर्वाचन व्यय समर्पित किये जाने की पदवार स्थिति प्रतिवेदित किया जाना है। जिसकी प्रविष्टि आयोग के वेवसाईट पर लॉगिन के माध्यम से जिला परिषद पद से संबंधित सूचना अनुमंडल स्तर तथा शेष पाँच पदों से संबंधित सूचना प्रखंड स्तर से की जायेगी। जिसके अन्तर्गत निम्नांकित कार्य किये जायेंगे –

(क) प्रत्येक पदवार पंचायत आम निर्वाचन, 2016 से संबंधित प्रपत्र-9 के अनुसार सभी अभ्यर्थियों का नाम एवं पत्राचार का पता अंकित किया जायेगा। (संबंधित प्रपत्र-9 को अपलोड किया जायेगा।)

(ख) प्रपत्र के कॉलम -4 में (दिनांक 15.07.2016 तक व्यय विवरणी प्रस्तुत किया गया ?) हाँ/ नहीं संबंधित करेंगे।

(ग) हाँ कि स्थिति में कॉलम - 5 में प्राप्ति की तिथि अंकित की जायेगी।

(घ) कॉलम-6 में प्राप्त व्यय विवरणी तथा शपथ-पत्र (प्रपत्र-29 एवं प्रपत्र-30) को अपलोड की जायेगी तथा अपलोड करने की तिथि अंकित की जायेगी।

(ङ) प्रविष्टि उपरान्त प्रतिवेदन डाउनलोड कर हस्ताक्षरयुक्त प्रपत्र पुनः अपलोड किया जायेगा।

2. अनुमंडल/प्रखंड स्तर से प्रविष्टि एवं हस्ताक्षरयुक्त प्रपत्र को जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा अग्रसारण पत्र के साथ आयोग के वेबसाईट पर लॉगिन के जिला के माध्यम से आयोग को प्रेषित करते हुये अपलोड किया जायेगा।

अनुरोध है कि प्रासंगिक पत्र के आलोक में जबावदेही निर्धारित करते हुए कार्रवाई सुनिश्चित की जाय तथा तत्संबंधी निदेश से सभी संबंधित को अवगत कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह/-

सचिव।

ज्ञापांक - पं0नि0 30-112/2016- पटना, दिनांक -

प्रतिलिपि श्री राजेश कुमार, आई.टी. मैनेजर को आयोग के वेबसाईट पर अपलोड कराये जाने हेतु प्रेषित।

ह/-

सचिव।

ज्ञापांक - पं0नि0 30-112/2016- 2080 पटना, दिनांक - 9.4.21

प्रतिलिपि अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव 09/04/2021

D:\pm5\P_E_Sanchalan_21/89

पंचायत आम निर्वाचन, 2016

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाची पदाधिकारी निर्वाचन व्यय विवरणी समर्पित किये जाने की पदवार स्थिति

जिला का नाम –

प्रखंड का नाम –

पद का नाम –

क्रमांक	प्रपत्र-9* के अनुसार निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम	पत्राचार का पता	दिनांक 15.07.2016 तक व्यय विवरणी प्रस्तुत किया गया ? (हाँ/ नहीं)	यदि हाँ, तो किस तिथि को प्राप्त किया गया	प्राप्त व्यय विवरणी तथा शपथ-पत्र (प्रपत्र 29 एवं प्रपत्र 30) को आयोग के वेबसाईट पर अपलोड करने की तिथि।
1	2	3	4	5	6

स्थान :

तिथि :

अनुमंडल पदाधिकारी/ प्रखंड विकास पदाधिकारी #
का हस्ताक्षर

* संबंधित प्रपत्र-9 को आयोग के वेबसाईट पर अपलोड किया जायेगा।

जिला परिषद पद के मामले में अनुमंडल पदाधिकारी तथा शेष पद के मामले में प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा।